# राजस्थान सरकार
## कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

एफ 8( )/कृ0आ0/ज.उ.प्र./जल हौज/ 2018–19/ 5599-710 दिनांक–23/4/18

1. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार), सी.ए.डी., कोटा।
2. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ।
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार), ई.गा.न.प., बीकानेर।

**विषय** :–वर्ष 2018–19 में डिग्गी, फार्म पौंण्ड (खेत तलाई) एवं जल हौज निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन बाबत्।

**प्रसंग** :– कृषि आयुक्तालय के पंत्राक 4689–4879 दिनांक 06.04.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में राज्य में जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य में डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज निर्माण के कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत क्रियान्वित किए जावेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार के परिवर्तित दिशा–निर्देशानुसार डिग्गी, जल हौज एवं फार्म पौण्ड के साथ फव्वारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र लगाये जाने पर ही अनुदान देय होगा। अतः डिग्गी जल हौज एवं फार्म पौण्ड के साथ फव्वारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के अनुसार उपरोक्त कार्यक्रमों में अनुदान निम्नानुसार होगा–

1. जल के समुचित उपयोग एवं सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में कृषकों द्वारा डिग्गी निर्माण पर लागत का 75 प्रतिशत (25 प्रतिशत top-up) अथवा अधिकतम रू. 3.00 लाख का अनुदान दिया जाना है।
2. वर्षा जल के संग्रहण एवं कुशल उपयोग के लिए कच्चे फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत (10 प्रतिशत top-up) अथवा अधिकतम रू. 63 हजार एवं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत (10 प्रतिशत top-up) अथवा अधिकतम रू. 90 हजार का अनुदान दिया जाना है।
3. कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई जल का उपयोग करने के लिए जल हौज निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत (10 प्रतिशत top-up) अथवा अधिकतम रू. 90 हजार का अनुदान दिया जाना है।

अनुदान के भुगतान हेतु 50 प्रतिशत अनुदान का भुगतान सीएसएस योजना बजट मदों से व 25 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत top-up अनुदान का भुगतान राज्य योजना के जल प्रबंधन बजट मदों से किया जायेगा।

वर्ष 2018–19 में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश मय भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान भी शीघ्र ही भिजवाये जा रहे है। उक्त योजना/कार्यक्रमों के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु जारी किये जाने वाले संशोधित दिशा–निर्देश ही मान्य होंगे।

(मानाराम चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (समन्वय)

एफ 8( )/कृ0आ0/ज.उ.प्र./जल हौज/ 2018–19/ 5599-710 दिनांक–23/4/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खण्ड ।
3. समस्त सहायक निदेशक कृषि(विस्तार) ।
4. जिला विस्तार अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/ सुल्तानपुर।

(मानाराम चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (समन्वय)

My Computer/E:- /New folder/2018-19/Hindi letter